रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2010/चैत्र 9, 1932

No. 152] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2010/CHAITRA 9, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2010

सा.का.नि. 266(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी (परिसमापन और विघटन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(i) "अधिनियम" से सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) अभिप्रेत है;

(ii) "उपाबंध" से इन नियमों का उपाबंध अभिप्रेत है;

(iii) "न्यायपीठ" से अधिकरण की न्यायपीठ अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत प्रधान न्यायपीठ भी सम्मिलित है;

(iv) किसी दस्तावेज की प्रति के संबंध में "प्रमाणित" से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 76 में यथाउपबंधित प्रमाणित अभिप्रेत है;

(v) "संहिता" से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 अभिप्रेत है;

(vi) "फाइल किया गया" से अधिकरण या न्यायपीठ के रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल किया गया अभिप्रेत है;

(vii) "एलएलपी" से सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है;

(viii) "एलएलपीआईएन" से सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 में निर्दिष्ट सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या अभिप्रेत है;

1157 GI/10—1A

(vix) "सीमित दायित्व भागीदारी समापक" से सीमित दायित्व भागीदारी के स्वैच्छिक परिसमापन के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा रखे गए व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंटों, अधिवक्ताओं, व्यवसायरत कंपनी सचिवों, व्यवसायरत लागत और संकर्म लेखापालों या चार्टर्ड अकाउन्टेंटों, अधिवक्ताओं, कंपनी सचिवों, लागत और संकर्म लेखापालों और ऐसे अन्य वृत्तिकों के, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, नाम वाले पेनल से नियुक्त किया गया समापक अभिप्रेत है ;

(x) "सदस्य" से न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य अभिप्रेत है ;

(xi) "अधिकारी" के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी का अभिहित भागीदार, भागीदार, कर्मचारी और ऐसा व्यक्ति भी है, जिसके निदेशों या अनुदेशों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार कार्य करने के लिए अभ्यस्त हैं ;

(xii) "अधिकरण के अधिकारी" से इन नियमों के अधीन नियुक्त परिसमापक सम्मिलित हैं ;

(xiii) "शासकीय समापक" से ऐसा समापक अभिप्रेत है जिसे अधिकरण द्वारा परिसमापन के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है और इसके अंतर्गत संयुक्त, उप या सहायक शासकीय समापक भी है ;

(xiv) "कार्यवाहियों" से इन नियमों के भाग 6 में विनिर्दिष्ट कार्यवाहियां और प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं और इसमें अधिनियम या नियमों के अधीन अन्य कार्यवाहियां या प्रक्रियाएं भी हैं ;

(xv) "अधिकरण के रजिस्ट्रार" से अधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अधिकरण या इसकी अन्य न्यायपीठ का अपर रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार और ऐसा अन्य अधिकारी भी है, जिसे अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अधिनियम और इन नियमों के अधीन अधिकरण के रजिस्ट्रार को समनुदेशित सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ;

(xvi) "धारा" से सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा अभिप्रेत है ;

(xvii) "समन" से अधिकरण के किसी सदस्य के समक्ष वापस करने योग्य समन अभिप्रेत हैं ;

(xviii) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (प) में यथापरिभाषित अधिकरण अभिप्रेत है :

परंतु कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिकरण का गठन किए जाने तक "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ।

(2) यथापूर्वोक्त के सिवाय और जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में अंतर्विष्ट शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में हैं ।

3. **प्ररूप**--इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूपों का उन सभी मामलों में, जिनसे प्ररूप संबंधित हैं, ऐसे परिवर्तनों के साथ उपयोग किया जाएगा, जो आवश्यक हों ।

भाग 2

परिसमापन के ढंग

4. **परिसमापन के ढंग**--सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन या तो स्वैच्छया से अथवा अधिकरण द्वारा हो सकेगा ।

भाग 3

स्वैच्छया परिसमापन

5. **वे परिस्थितियां, जिनमें सीमित दायित्व भागीदारी का स्वैच्छया परिसमापन किया जा सकेगा**--(1) किसी सीमित दायित्व भागीदारी का स्वैच्छया परिसमापन किया जा सकेगा, यदि सीमित दायित्व भागीदारी अपने भागीदारों की कुल संख्या के कम से कम तीन-चौथाई के अनुमोदन से सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन करने का संकल्प पारित करती है :

परंतु यदि सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदार हैं, चाहे प्रतिभूत हों या अप्रतिभूत, तो ऐसा परिसमापन तभी हो सकेगा, जब नियम 7 के अनुसरण में ऐसे लेनदारों का अनुमोदन हो जाता है ।

(2) संकल्प की एक प्रति ऐसे संकल्प के पारित किए जाने के तीस दिन के भीतर **प्ररूप सं0 1** में रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी ।

6. **स्वैच्छया परिसमापन का प्रारंभ और कार्यों के विवरण का फाइल किया जाना**-- (1) किसी स्वैच्छया परिसमापन को नियम 5 के अधीन स्वैच्छया परिसमापन के लिए संकल्प के पारित किए जाने की तारीख को आरंभ हुआ समझा जाएगा ।

(2) नियम 28 के उपनियम (3) के उपबंध जहां तक हो सके, स्वैच्छया परिसमापन को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे अधिकरण द्वारा परिसमापन के संबंध में लागू होते हैं, सिवाए इसके प्रति निर्देश के कि,--

(क) अधिकरण का लोप किया जाएगा ;

(ख) समापक या अंतरिम समापक के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह सीमित दायित्व भागीदारी समापक के प्रति निर्देश है ; और

(ग) "सुसंगत तारीख" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह स्वैच्छया परिसमापन के प्रारंभ की तारीख के प्रति निर्देश है ।

7. स्वैच्छया परिसमापन के प्रस्ताव की दशा में शोधन क्षमता की घोषणा--(1) जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी का स्वैच्छया परिसमापन करने का प्रस्ताव किया जाता है, वहां उसके अभिहित भागीदारों का बहुमत (जो दो से कम नहीं है) **प्ररूप सं0 2** में इस आशय के शपथपत्र द्वारा सत्यापित घोषणा करेंगे कि सीमित दायित्व भागीदारी पर कोई ऋण नहीं है और परिसमापन के प्रारंभ से एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर, जो घोषणा में विनिर्दिष्ट की जाए, अपने ऋणों को पूर्णरूप से संदाय करने में समर्थ होंगे ।

(2) उपनियम (1) के अधीन की गई किसी घोषणा का अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए कोई प्रभाव तभी होगा, जब,--

(क) यह सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए संकल्प पारित करने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पन्द्रह दिन के भीतर की गई है और उसे **प्ररूप सं0 3** में रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास परिदत्त कर दिया गया है ;

(ख) इसमें यह घोषणा करते हुए कथन अंतर्विष्ट है कि सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से कपट-वंचित करने के लिए नहीं किया जा रहा है ;

(ग) उसके साथ उस तारीख से, जिस तक अंतिम लेखे तैयार किए गए थे, प्रारंभ होने वाली और घोषणा करने से ठीक पूर्व नवीनतम व्यवहार्य तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए **प्ररूप सं0 4** में तैयार किया गया कम से कम दो अभिहित भागीदारों द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित आस्तियों और दायित्वों का विवरण है ;

(घ) जहां सीमित दायित्व भागीदारी की कोई आस्तियां हैं, वहां उसके साथ किसी मूल्यांकक द्वारा तैयार की गई सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट है ।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी और उसके अभिहित भागीदार, उपनियम (1) के अधीन अभिहित भागीदारों द्वारा कोई घोषणा किए जाने से पूर्व लेनदारों के किन्हीं देयों का प्रतिसंदाय या लेनदारों के दावों का किसी रीति में समाधान कर सकेंगे ।

8. लेनदारों की बैठक--(1) जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदार, प्रतिभूत या अन्यथा हैं तो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन की कोई कार्रवाई करने से पूर्व ऐसे लेनदारों का भी अनुमोदन लेगी और रजिस्ट्रीकृत या स्पीड डाक अथवा सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 15 में परिभाषित किसी अन्य पद्धति द्वारा उन्हें, नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन घोषणा की एक प्रति, प्रत्येक लेनदार को देय दावों की प्राक्कलित रकम और ऐसे दावों को स्वीकार करने के लिए लेनदारों को प्रस्थापना भेजेगी ।

(2) लेनदारों को सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छया परिसमापन के संबंध में सीमित दायित्व भागीदारी को अपनी राय और उपनियम (1) के अधीन की गई प्रस्थापना की स्वीकृति नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन घोषणा की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर दी जाएगी ।

(3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदारों के मूल्य में दो-तिहाई सदस्य इस बात की सहमति दे देते हैं कि,--

(क) यह सभी पक्षकारों और लेनदारों के हित में है कि सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदारों द्वारा स्वैच्छया से परिसमापन कर दिया जाए तो सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदारों द्वारा स्वैच्छया से परिसमापन कर दिया जाएगा ; या

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी स्वैच्छया परिसमापन में विक्रय की जाने वाली आस्तियों के आगमों से पूर्णतया अपने ऋणों का संदाय करने के लिए समर्थ नहीं होगी और यह प्रस्ताव करेगी कि सीमित दायित्व भागीदारी का लेनदारों द्वारा स्वैच्छया से परिसमापन किया जाए तो सीमित दायित्व भागीदारी का लेनदारों द्वारा स्वैच्छया परिसमापन कर दिया जाएगा ;

(ग) सीमित दायित्व भागीदारी, स्वैच्छया परिसमापन में विक्रय की जाने वाली आस्तियों के आगमों से पूर्णतया अपने ऋणों का संदाय करने के लिए समर्थ नहीं होगी और यह प्रस्ताव करती है कि यदि सीमित दायित्व

भागीदारी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जाता है तो सीमित दायित्व भागीदारी उसके पश्चात् चौदह दिन के भीतर परिसमापन के लिए अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगी :

परंतु जहां सीमित दायित्व भागीदारी लेनदारों के बकायों का उनके समाधान पर संदाय कर देती है वहां, यथास्थिति, खंड (ख) या खंड (ग) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

(4) इस नियम के अनुसरण में लेनदारों के किसी विनिश्चय की सूचना उपनियम (3) में निर्दिष्ट लेनदारों की सहमति की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा **प्ररूप सं0 5** में रजिस्ट्रार को दी जाएगी ।

9. स्वैच्छया परिसमापन के लिए संकल्प का प्रकाशन--जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने स्वैच्छया परिसमापन का संकल्प किया है और नियम 8 के उपनियम (3) के खंड (ख) के अधीन लेनदारों की सहमति प्राप्त हो गई है तो वह लेनदारों की सहमति की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर उस जिले में, जहां सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय स्थित है, परिचालित किए जाने के लिए समाचारपत्र में विज्ञापन द्वारा संकल्प की सूचना देगी ।

10. सीमित दायित्व भागीदारी परिसमापक की नियुक्ति और उसे हटाया जाना--(1) सीमित दायित्व भागीदारी,--

(क) यदि सीमित दायित्व भागीदारी के कोई लेनदार नहीं है तो नियम 5 के अधीन स्वेच्छया परिसमापन का संकल्प पारित करने, या

(ख) यदि उसके लेनदार है तो नियम 8 के उपनियम (4) के अनुसरण में परिसमापन के विनिश्चय सूचित करने वाली सूचना फाइल करने,

के तीस दिन के भीतर संकल्प द्वारा भागीदारों के बहुमत की सहमति से उसके कार्यों का परिसमापन करने के प्रयोजन के लिए पेनल से सीमित दायित्व भागीदारी समापक के रूप में किसी स्वैच्छिक परिसमापक की नियुक्ति कर सकेगी और सीमित दायित्व भागीदारी समापक किए जाने वाले पारिश्रमिक की सिफारिश करेगी ।

(2) जहां नियम 8 के उपनियम (3) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन लेनदारों ने सहमति दे दी है वहां इस नियम के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति सीमित दायित्व भागीदारी के दो-तिहाई लेनदारों के मूल्य द्वारा उसका अनुमोदन किए जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगी :

परंतु जहां ऐसे लेनदार सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों द्वारा नियुक्त सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति को अनुमोदित नहीं करते हैं वहां लेनदार, सीमित दायित्व भागीदारी के मूल्य में दो तिहाई लेनदारों के साथ किसी दूसरे सीमित दायित्व भागीदारी समापक को नियुक्त करेंगे और सीमित दायित्व भागीदारी समापक को संदाय किए जाने वाले पारिश्रमिक को नियत करेंगे ।

(3) यदि लेनदार और सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार भिन्न-भिन्न सीमित दायित्व भागीदारी समापक नियुक्त करते हैं तो लेनदारों द्वारा नामनिर्दिष्ट सीमित दायित्व भागीदारी समापक, सीमित दायित्व भागीदारी समापक होगा । यदि लेनदार न तो सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों समापक को अनुमोदित करते हैं, न ही किसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारी समापक को नामनिर्दिष्ट करते हैं तो सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया सीमित दायित्व भागीदारी समापक, सीमित दायित्व भागीदारी समापक होगा ।

(4) यदि किसी कारण से, कोई सीमित दायित्व भागीदारी समापक कार्य नहीं कर रहा है तो अधिकरण किसी व्यक्ति को ऐसे पारिश्रमिक पर, जो उसके द्वारा अवधारित किया जाए, सीमित दायित्व भागीदारी समापक के रूप में नियुक्त कर संकेगा ।

(5) अधिकरण कारण दर्शित करने पर किसी सीमित दायित्व भागीदारी समापक को हटा सकेगा और किसी अन्य व्यक्ति को, सीमित दायित्व भागीदारी समापक के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी समापक के रूप में नियुक्त कर सकेगा :

(6) अधिकरण, इस निमित्त रजिस्ट्रार द्वारा किए गए आवेदन पर भी किसी सीमित दायित्व भागीदारी समापक को नियुक्त या हटा सकेगा :

(7) अधिकरण, हटाए जा रहे समापक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर सकेगा ।

(8) सीमित दायित्व भागीदारी समापक अपनी नियुक्ति के पश्चात् अपनी नियुक्ति के संबंध में, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी और लेनदारों के साथ हित के विरोध या स्वतंत्रता की कमी को प्रकट करते हुए, यदि कोई हो, **प्ररूप सं0 6** में एक घोषणा फाइल करेगा और ऐसी बाध्यता उसकी नियुक्ति की संपूर्ण अवधि में बनी रहेगी ।

(9) सीमित दायित्व भागीदारी समापक को, जहां उसकी नियुक्ति सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा की गई है वहां सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों द्वारा और जहां नियुक्ति लेनदारों द्वारा अनुमोदित की गई है या की गई है, वहां ऐसे लेनदारों द्वारा हटाया जा सकेगा ।

(10) जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी समापक को, उपनियम 9 के अधीन हटाए जाने की वांछा की गई है, वहां उसे, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या लेनदारों द्वारा अपने पद से हटाए जाने के आधारों को बताते हुए लिखित में एक सूचना दी जाएगी ।

(11) जहां, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की कुल संख्या के तीन-चौथाई भागीदार या तीन-चौथाई लेनदार अपनी बैठक में सीमित दायित्व भागीदारी समापक द्वारा फाइल किए गए जवाब पर, विचार करने के पश्चात् यदि कोई है, विनिश्चय करते हैं, सीमित दायित्व भागीदार, सीमित दायित्वभागीदारी समापक को हटा सकेंगे और वहां वह अपना पद रिक्त कर देगा ।

11. सीमित दायित्व भागीदारी समापक के पद में रिक्ति का भरा जाना--यदि नियम 10 के अधीन नियुक्त किए गए किसी सीमित दायित्व भागीदारी समापक (अधिकरण द्वारा या उसके निदेश द्वारा नियुक्त समापक से भिन्न) को पद में मृत्यु, पदत्याग, हटाए जाने के कारण या अन्यथा रिक्ति होती है तो, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार या लेनदार उस नियम में विनिर्दिष्ट रीति में रिक्ति को भर सकेंगे ।

12 सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार को दिया जाना--सीमित दायित्व भागीदारी किसी सीमित दायित्व भागीदारी समापक की मृत्यु, पदत्याग करने, हटाए जाने के कारण या अन्यथा हुई किसी नियुक्ति की सूचना, ऐसी नियुक्ति या परिवर्तन के दस दिन के भीतर, सीमित दायित्व भागीदारी समापक का नाम और विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए **प्ररूप सं0 7** में रजिस्ट्रार को देंगे ।

13. सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति पर अभिहित भागीदारों और अन्य भागीदारों की शक्ति का न रहना--सीमित दायित्व भागीदारी समापक की नियुक्ति पर अभिहित भागीदार और अन्य भागीदारों की, यदि कोई हो, सभी शक्तियां सीमित दायित्व भागीदारी समापक की ऐसी नियुक्ति की रजिस्ट्रार को सूचना देने के सिवाय, समाप्त हो जाएंगी ।

14. सीमित दायित्व भागीदारी समापक के कर्तव्य--(1) सीमित दायित्व भागीदारी समापक ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो समय-समय पर, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या उसके लेनदारों द्वारा अवधारित किए जाएं ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी समापक लेनदारों या भागीदारों की सूची तय करेगा, जो उसमें नामित व्यक्तियों के लेनदारों या भागीदारों के रूप में दायित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगी ।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी समापक ऐसे किसी प्रयोजन के लिए, जो वह आवश्यक समझे, यथास्थिति सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों या लेनदारों का अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी समापक भाग 6 में विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में नियमित और उचित लेखा पुस्तकें रखेगा और भागीदार या लेनदार या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उन लेखा बहियों का निरीक्षण कर सकेगा ।

(5) सीमित दायित्व भागीदारी समापक, सीमित दायित्व भागीदारी के ऋणों का संदाय करेगा और भागीदारों के बीच उनके अधिकारों को समायोजित करेगा ।

(6) सीमित दायित्व भागीदारी समापक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सम्यक् सावधानी और तत्परता बरतेगा ।

15. सीमित दायित्व भागीदारी समापक के लेखे की संपरीक्षा--सीमित दायित्व भागीदारी समापक के लेखाओं की नियम 56 में विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति के अनुसार संपरीक्षा की जाएगी ।

16. समिति की नियुक्ति--यथास्थिति, भागीदार या लेनदार ऐसी समितियां नियुक्त कर सकेंगे, जो स्वैच्छिक समापन का अधीक्षण करने के लिए और सीमित दायित्व भागीदारी समापक को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में सहायता करने के लिए उपयुक्त समझी जाएं ।

17. सीमित दायित्व भागीदारी समापक द्वारा परिसमापन की प्रगति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना--सीमित दायित्व भागीदारी समापक सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन की प्रगति संबंधी तिमाही रिपोर्ट (अर्थात् 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली तिमाहियां) **प्ररूप सं0 8** में, यथास्थिति, भागीदारों या लेनदारों को देगा, जो आगामी तिमाही के अंत से पूर्व दी जाएगी ।

18. व्यक्तियों की परीक्षा के लिए सीमित दायित्व भागीदारी समापक की अधिकरण को रिपोर्ट--(1) जहां सीमित दायित्व भागीदारी समापक से यह रिपोर्ट पर्याप्त साक्ष्य के साथ प्राप्त होती है कि सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में ऐसा कोई कपट किया गया है जो सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों या लेनदारों के अधिकारों अथवा सीमित दायित्व भागीदारी या जनता के हित को सारवान रूप से प्रभावित करता है तो अधिकरण, इन नियमों के अधीन परिसमापन की प्रक्रिया के जारी रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 43 के अधीन अन्वेषण का आदेश दे

सकेगी और ऐसे अन्वेषण की रिपोर्ट पर विचार करने पर, अधिकरण ऐसा आदेश पारित कर सकेगी और ऐसा निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे, जिसके अंतर्गत यह निर्देश भी है कि ऐसा व्यक्ति, अधिकरण के समक्ष उस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियत किए गए दिन को उपस्थित होगा और सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के संवर्धन या विरचना या संचालन के बारे में या उसके अधिकारी के रूप में उसके आचरण या व्यौहार के बारे में या अन्यथा उसकी परीक्षा की जाएगी :

परंतु जहां सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या अभिहित भागीदार से भिन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध कपट को रिपोर्ट किया जाता है, वहां सीमित दायित्व भागीदारी समापक इस नियम के अधीन अधिकरण को रिपोर्ट भेजने से पहले, यथास्थिति, भागीदारों या अभिहित भागीदारों को सूचित कर सकेंगे और अधिकरण को रिपोर्ट में अपनी राय सम्मिलित कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश करने की अधिकरण की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिकरण को परिसमापन की कार्यवाहियों को अधिकरण द्वारा स्वैच्छिक परिसमापन से अनिवार्य परिसमापन में अंतरित करने की शक्ति होगी ।

(3) भाग 6 के अधीन भागीदारों, अभिहित भागीदारों, अधिकारियों, आदि की लोक परीक्षा करने का आदेश करने की शक्ति से संबंधित उपबंध उपनियम (1) के अधीन निदेशित किसी परीक्षा के संबंध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

19. सीमित दायित्व भागीदारी का विघटन--(1) यथाशीघ्र सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों का पूर्णतया परिसमापन करते हुए कि कैसे परिसमापन संचालित किया गया है और संपत्ति का व्ययन किया गया है और यह दर्शित करते हुए कि सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति और आस्तियों का व्ययन कर दिया गया है तथा उसके ऋणों का लेनदारों के समाधान पर पूर्णतया निर्वहन या निर्वहन कर दिया गया है, अंतिम परिसमापन लेखे और स्पष्टीकरणों की प्ररूप सं.9 एक रिपोर्ट तैयार करेगा और तत्पश्चात्, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों या लेनदारों की में बैठक में उक्त रिपोर्ट और अंतिम परिसमापन लेखे तथा स्पष्टीकरण पर सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों और लेनदारों का अनुमोदन प्राप्त करेगा :

परंतु लेनदारों की ऐसी बैठक अपेक्षित नहीं है यदि नियम 8 में उपबंधित रीति में उनके देयों का संदाय कर दिया गया है :

परंतु यह और कि इस नियम के अधीन अनुमोदन वास्तविक रूप में या इलैक्ट्रानिक रूप में सुसंगत संकल्प का परिचालन करके मांगा जा सकेगा :

परंतु यह और कि परिचालन की दशा में, यदि भागीदारों या लेनदारों द्वारा कोई स्पष्टीकरण या अतिरिक्त या अनुपूरक सूचना की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे परिचालन की तारीख के तीस दिन के भीतर उनके द्वारा उसकी मांग की जा सकेगी और ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर सीमित दायित्व भागीदारी समापक द्वारा ऐसी अतिरिक्त या अनुपूरक सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) यदि, यथास्थिति, कुल सदस्यों की दो-तिहाई संख्या या लेनदारों के मूल्य में से दो-तिहाई सदस्यों का सीमित दायित्व भागीदारी समापक की रिपोर्ट, लेखाओं और स्पष्टीकरणों पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन कर दिया जाना चाहिए तो वे बैठक की दशा में ऐसी रिपोर्ट, लेखाओं और स्पष्टीकरण की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर और परिचालन की दशा में, ऐसे परिचालन या अतिरिक्त सूचना के तीस दिन के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उसके विघटन के लिए संकल्प पारित करेंगे :

परंतु अपेक्षित संख्या में, यथास्थिति, भागीदार या लेनदार सीमित दायित्व भागीदारी समापक की रिपोर्ट के अनुमोदन के संबंध में विनिश्चय करने में समर्थ नहीं है तो मामले को नियम 23 के अधीन आदेश के लिए अधिकरण को निर्दिष्ट किया जा सकेगा और उस मामले पर अधिकरण का आदेश सभी पक्षकारों पर बाध्यकर होगा ।

(3) उपनियम (2) के अधीन संकल्प के पश्चात् पंद्रह दिन के भीतर सीमित दायित्व भागीदारी समापक,--

(क) **प्ररूप सं0 10** में अंतिम परिसमापन लेखाओं, स्पष्टीकरण और रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजेगा ; और

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन का आदेश पारित करने के लिए अंतिम परिसमापन लेखाओं, स्पष्टीकरण और रिपोर्ट की एक प्रति के साथ अधिकरण को आवेदन करेगा ।

(4) यदि अधिकरण का सीमित दायित्व भागीदारी समापक के आवेदन, अंतिम परिसमापन लेखाओं, स्पष्टीकरणों और रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि परिसमापन की प्रक्रिया का सम्यक् अनुपालन किया गया है, तो अधिकरण ऐसे आवेदन, लेखाओं, स्पष्टीकरणों और रिपोर्ट की एक प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा कि सीमिन दायित्व भागीदारी समाप्त हो जाएगी ।

(5) सीमित दायित्व भागीदारी समापक तीस दिन के भीतर उपनियम (4) के अधीन आदेश की प्रति **प्ररूप सं0 11** में रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा ।

(6) रजिस्ट्रार, उपनियम (4) के अधीन अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्रति प्राप्त करने पर तुरंत राजपत्र में यह सूचना प्रकाशित करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी का विघटन हो गया है ।

(7) स्वैच्छिक परिसमापन के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों का पूर्णतया परिसमापन न होने की दशा में सीमित दायित्व भागीदारी समापक उसके कारण स्पष्ट करते हुए अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल करेगा और समुचित निर्देश प्राप्त करेगा ।

स्पष्टीकरण--(i) इस नियम के प्रयोजन के लिए, आवेदन व्यक्तिगत रूप में या रजिस्ट्रीकृत अथवा स्पीड डाक द्वारा या सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 15 में विहित कोई अन्य ढंग से हो सकेगा ।

(ii) आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि की संगणना करने में, आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को अलग कर दिया जाएगा ।

20. सीमित दायित्व भागीदारी समापक द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति के विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में अभिदाय, आदि प्राप्त करना--(1) जहां सीमित दायित्व भागीदारी का (अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी) स्वैच्छया परिसमापन करने का प्रस्ताव किया गया है या किए जाने के अनुक्रम में है और उसका संपूर्ण कारबार या संपत्ति अथवा उसका कोई भाग किसी सीमित दायित्व भागीदारी को (अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी) अंतरित या विक्रीत किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, वहां अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी का सीमित दायित्व भागीदारी समापक, सीमित दायित्व भागीदारी समापक को साधारण प्राधिकार या किसी विशिष्ट ठहराव के संबंध में प्राधिकार प्रदत्त करने वाले कुल भागीदारों में से कम से कम तीन-चौथाई द्वारा पारित अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी के संकल्प की मंजूरी से,--

(क) अंतरण या विक्रय के लिए पूर्णतया या भागतः में, प्रतिकर के रूप में अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों के बीच वितरण के लिए नकद, प्रतिभूतियों, पालिसियों या अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी में वैसे ही अन्य हित प्राप्त कर सकेगा ; या

(ख) ऐसा कोई अन्य ठहराव कर सकेगा, जिसके द्वारा अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार नकद, प्रतिभूतियां, पालिसियां या वैसे ही अन्य हित प्राप्त करने के बदले या उसके अतिरिक्त अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी के लाभों में भाग ले सकेगा या उससे कोई अन्य फायदा प्राप्त कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई ठहराव प्रतिभूत लेनदारों की, , सहमति के बिना नहीं किया जाएगा यदि कोई हों ।

(2) इस धारा के अनुसरण में कोई अंतरण, विक्रय या अन्य ठहराव अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी के सभी भागीदारों पर बाध्यकर होगा ।

(3) अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी का ऐसा भागीदार, जिसने संकल्प के पक्ष में मत नहीं दिया था और सीमित दायित्व भागीदारी समापक को संबोधित कर लिखित में उससे विसम्मति अभिव्यक्त की थी और संकल्प के पारित किए जाने के पश्चात् सात दिन के भीतर उसे सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में छोड़ दिया था, सीमित दायित्व भागीदारी समापक से करार या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा अवधारित की जाने वाली कीमत के अनुसार अपना हित क्रय की अपेक्षा कर सकेगा ।

(4) यदि सीमित दायित्व भागीदारी समापक ऐसे भागीदार का हित क्रय करने का विनिश्चय करता है तो उसके द्वारा ऐसी रीति में, जो कुल भागीदारों के तीन-चौथाई द्वारा पारित संकल्प द्वारा अवधारित की जाए, उठाया गया क्रय धन का सीमित दायित्व भागीदारी विघटित किए जाने से पूर्व संदाय किया जाएगा ।

21. सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति का वितरण--अध्यारोही अधिमानी संदायों के बारे में अधिनियम और इन नियमों के अधीन रहते हुए, सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों को, उसके परिसमापन पर, उसके दायित्वों के समाधान में उपयोजित किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के अधीन रहते हुए, जब तक सीमित दायित्व भागीदारी करार में अन्यथा उपबंधित न हो, भागीदारों के बीच सीमित दायित्व भागीदारी में उनके अधिकारों और हितों के अनुसार अंतरित किया जाएगा ।

22. सीमित दायित्व भागीदारी और लेनदारों के बीच ठहराव--परिसमापन किए जाने के अनुक्रम में सीमित दायित्व भागीदारी और सीमित दायित्व भागीदारी के तीन-चौथाई भागीदारों के बहुमत और मूल्य में लेनदारों के तीन-चौथाई बहुमत द्वारा उसके लेनदारों के बीच किया गया कोई ठहराव बाध्यकर होगा ।

परंतु उक्त करार को सीमित दायित्व भागीदारी और उसके लेनदारों द्वारा अनुमोदन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो और अधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया हो ।

23. अधिकरण को आवेदन--(1) सीमित दायित्व भागीदारी समापक या कोई भागीदार या लेनदार अधिकरण को निम्नलिखित के लिए आवेदन कर सकेगा,--

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के अनुक्रम में प्रोद्भूत होने वाले प्रश्नों का अवधारण करने ; या

(ख) कार्यवाहियों को प्रवृत्त करने, उनके व्यादेश या किसी अन्य मामले के संबंध में ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने, जो अधिकरण द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन किए जाने की दशा में, अधिकरण प्रयोग करें ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी समापक या कोई लेनदार या भागीदार परिसमापन के प्रारंभ होने के पश्चात् सीमित दायित्व भागीदारी की संपदा या चीजबस्त के संबंध में प्रवृत्त की गई किसी कुर्की, दवाब या निष्पादन को अपास्त करने वाले आदेश के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा ।

(3) अधिकरण, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आवेदन पर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, अनुज्ञात कर सकेगा या आवेदन पर ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(4) इस नियम के अधीन किए गए परिसमापन की कार्यवाहियों को रोकने वाले आदेश की एक प्रति सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा, आदेश के तीस दिन के भीतर **प्ररूप सं0 11** में रजिस्ट्रार को फाइल की जाएगी ।

स्पष्टीकरण--आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि की संगणना करने में आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को अपवर्जित किया जाएगा ।

24. स्वैच्छिक परिसमापन के खर्च--सीमित दायित्व भागीदारी समापक की फीस सहित परिसमापन में उपगत सभी खर्चे, प्रभार और व्यय, प्रतिभूत लेनदारों, यदि कोई हों, और कर्मकारों के अधिकारों के अधीन रहते हुए, सभी अन्य दावों पर पूर्विक्ता में सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों में से संदेय होंगे ।

भाग 4

अधिकरण द्वारा परिसमापन

25. ऋणों का संदाय करने में असमर्थता--धारा 64 के प्रयोजनों के लिए, किसी सीमित दायित्व भागीदारी को अपने ऋणों का संदाय करने मे असमर्थ समझा जाएगा,--

(क) यदि ऐसे किसी लेनदार ने, समनुदेशन द्वारा या अन्यथा, जिससे सीमित दायित्व भागीदारी देय से एक लाख रुपए से अनधिक रकम के लिए ऋणग्रस्त है, सीमित दायित्व भागीदारी से इस प्रकार देय रकम का संदाय करने की अपेक्षा करने वाली मांग की, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या अन्यथा उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में परिदत्त कराके, सीमित दायित्व भागीदारी पर तामील की है और सीमित दायित्व भागीदारी ऐसी मांग की प्राप्ति के पश्चात् इक्कीस दिन के भीतर राशि का संदाय करने में या लेनदारों के युक्तियुक्त समाधान में पर्याप्त प्रतिभूति देने या ऋण की पुनःसंरचना या संयोजन करने में असफल रही है ;

(ख) यदि सीमित दायित्व भागीदारी के किसी लेनदार के पक्ष में किसी न्यायालय या अधिकरण की किसी डिक्री या आदेश के संबंध में जारी किसी निष्पादन या अन्य आदेशिका को पूर्णतया या भाग में असमाधानप्रद रूप से वापस कर दिया जाता है ; या

(ग) यदि अधिकरण के समाधान में यह साबित कर दिया जाता है कि सीमित दायित्व भागीदारी अपने ऋणों का संदाय करने या यह अवधारित करने में असमर्थ है कि क्या सीमित दायित्व भागीदारी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है तो अधिकरण सीमित दायित्व भागीदारी के आकस्मिक और संभावी दायित्वों को ध्यान में रखेगा ।

26. परिसमापन के लिए याचिका--(1) किसी सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए अधिकरण में याचिका निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत की जाएगी,--

(क) सीमित दायित्व भागीदारी या उसके किसी भागीदार या भागीदारों द्वारा ;

(ख) किसी प्रतिभूत लेनदार या लेनदारों द्वारा, जिसके अंतर्गत आकस्मिक या संभावित लेनदार भी हैं ;

(ग) रजिस्ट्रार द्वारा ;

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ङ) अधिनियम की धारा 51 के अधीन आने वाले मामले की दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा ; या

(च) धारा 64 के खंड (घ) के अधीन आने वाले मामले की दशा में, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा ।

(2) कोई भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए इस बात के होते हुए भी याचिका प्रस्तुत करने का हकदार होगा कि उसने अपना पूर्ण अभिदाय संदत्त कर दिया है या सीमित दायित्व भागीदारी के पास अंततः कोई आस्तियां नहीं हों या उसके दायित्वों का समाधान करने के पश्चात् भागीदारों के बीच वितरण के लिए कोई अधिशेष आस्तियां न बची हों ।

(3) रजिस्ट्रार धारा 64 में विनिर्दिष्ट आधार पर उस धारा के खंड 5(घ) में विनिर्दिष्ट आधारों के सिवाए, किसी आधार पर परिसमापन के लिए याचिका प्रस्तुत करने का हकदार होगा :

परंतु रजिस्ट्रार इस आधार पर तब तक याचिका प्रस्तुत नहीं करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है, जब तक लेखाओं और शोधन क्षमता के विवरण में प्रकट की गई सीमित दायित्व भागीदारी की वित्तीय स्थिति या धारा 43 के अधीन नियुक्त निरीक्षक की रिपोर्ट से उसे यह प्रतीत नहीं होता है कि सीमित दायित्व भागीदारी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रार कोई याचिका प्रस्तुत करने से पहले केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा :

परंतु यह भी कि केंद्रीय सरकार पूर्ववर्ती परंतुक के अधीन मंजूरी तभी देगी, जब संबंधित सीमित दायित्व भागीदारी को अभ्यावेदन करने का, यदि कोई हो, युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो ;

(4) सीमित दायित्व भागीदारी या उसके किसी भागीदार या भागीदारों द्वारा अधिकरण के समक्ष परिसमापन के लिए फाइल की गई याचिका तभी ग्रहण की जाएगी, जब उसके साथ भाग 6 में विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में याचिका की तारीख को सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों का एक विवरण और उसके कुल भागीदारों में से तीन-चौथाई का एक संकल्प होगा ।

(5) किसी आकस्मिक या संभावी लेनदार द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए प्रस्तुत की गई याचिका के ग्रहण किए जाने से पूर्व, याचिका को ग्रहण करने के लिए अधिकरण की इजाजत ली जाएगी और ऐसी इजाजत तभी दी जाएगी, जब अधिकरण की राय में सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए प्रथमदृष्टया मामला हो और खर्चों के लिए ऐसी प्रतिभूति दे दी गई है, जो अधिकरण युक्तियुक्त समझे ।

27. अधिकरण की शक्तियां--(1) परिसमापन याचिका की सुनवाई पर, अधिकरण, --

(क) उसे, खर्चों सहित या उसके बिना खारिज कर सकेगा ;

(ख) ऐसा अंतरिम आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ;

(ग) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 60 से धारा 62 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी के पुनरूद्धार या पुनर्स्थापन की कार्रवाई का आदेश दे सकेगा ;

(घ) परिसमापन आदेश किए जाने तक किसी "समापक" की सीमित दायित्व भागीदारी के अनंतिम समापक के रूप में नियुक्ति कर सकेगा ;

(ङ) खर्चों सहित या उसके बिना, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आदेश कर सकेगा ;

(च) ऐसा/ऐसे अन्य आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे :

परंतु अधिकरण केवल इस आधार पर परिसमापन आदेश करने से इंकार नहीं करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों को उन आस्तियों के बराबर या उससे अधिक रकम के लिए आडमान किया गया है या सीमित दायित्व भागीदारी की कोई आस्तियां नहीं है ।

(2) जहां इस आधार पर कोई याचिका प्रस्तुत की गई है कि यह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण है कि सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन किया जाना चाहिए, वहां अधिकरण, यदि उसकी यह राय है कि याचीकर्ता का कोई अन्य उपचार उपलब्ध है और वे उस अन्य उपचार का प्रयोग करने के बजाय सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन करने की मांग करने के लिए अयुक्तियुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं, तो वह परिसमापन का आदेश करने से इंकार कर सकेगा ।

(3) जहां अधिकरण द्वारा अनंतिम समापक नियुक्त किया जाता है, वहां अधिकरण, उसकी नियुक्ति करने वाले आदेश या पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा उसकी शक्तियों और कर्तव्यों को सीमित और निर्बंधित कर सकेगा, किंतु अन्यथा समापक के रूप मे उसकी वही शक्तियां और कर्तव्य होंगे ।

28. कार्यकलापों का विवरण फाइल करने के लिए निर्देश--(1) जहां सीमित दायित्व भागीदारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अधिकरण के समक्ष परिसमापन के लिए याचिका फाइल की जाती है, वहां अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो गया है कि सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो वह आदेश द्वारा

सीमित दायित्व भागीदारी को आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर भाग 6 में विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में अपने कार्यकलापों के विवरण के साथ अपने आक्षेप फाइल करने का निदेश देगी :

परंतु अधिकरण, याचिकाकर्ता को खर्चों के लिए ऐसी प्रतिभूति जमा करने का निदेश दे सकेगा, जो वह सीमित दायित्व भागीदारी को निदेश जारी करने की पूर्व शर्त के रूप में वह युक्तियुक्त समझे ।

(2) किसी अन्य दायित्व के होते हुए भी, ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का, जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट कार्यकलापों का विवरण फाइल करने में असफल रहती है, याचिका का विरोध करने का अधिकार जब्त हो जाएगा ।

(3) जहां अधिकरण ने परिसमापन आदेश किया है या किसी समापक की अनंतिम समापक के रूप में नियुक्ति की है, वहां जब तक अधिकरण अपने निदेशों में अन्यथा आदेश न करे, वहां सुसंगत तारीख से इक्कीस दिन के भीतर या उस तारीख से, जो समापक या अनंतिम समापक या अधिकरण विशेष कारणों से नियत करे, दो मास से अनधिक विस्तारित समय के भीतर (जिसमें इक्कीस दिन की अवधि भी सम्मिलित है) भाग 6 में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों के बारे में एक विवरण तैयार करेगा और उसे समापक के पास फाइल करेगा ।

स्पष्टीकरण ऐसे मामले में, जहां अनंतिम समापक की नियुक्ति की गई है, "सुसंगत तारीख" पद से, नियुक्ति की तारीख और ऐसे मामले में, जहां ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई है, परिसमापन आदेश की तारीख अभिप्रेत है ।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार और ऐसे अन्य अधिकारी, जो लेखाओं को पूरा करने और उनकी संपरीक्षा के लिए उत्तरदायित्व है, यह सुनिश्चित करेंगे कि उस सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसके संबंध में परिसमापन के लिए याचिका दी गई है, लेखे परिसमापन के आदेश की तारीख तक सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के अनुसार पूर्ण और संपरीक्षित हैं और सीमित दायित्व भागीदारी के खर्चे पर अधिकरण में प्रस्तुत कर दिए गए हैं ।

(5) सीमित दायित्व भागीदारी के ऐसे भागीदार और अन्य अधिकारी, जो लेखाओं को पूरा करने तथा उनकी संपरीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं या रहे हैं, यथास्थिति, अधिकरण या अनंतिम समापक या समापक के पास कार्यकलापों का विवरण प्रस्तुत करेंगे ।

29. "समापक" और उनकी नियुक्तियां--(1) अधिकरण द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के प्रयोजनों के लिए या अनंतिम समापक की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, एक "परिसमापक" होगा, जो अधिकरण के आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा रखे गए पेनल से नियुक्त किया गया 'शासकीय समापक' या 'समापक' होगा ।

परंतु किसी ऐसे आदेश के अभाव में, शासकीय समापक यथास्थिति "समापक" "अनंतिम समापक" के रूप में कार्य करेगा ।

(2) परिसमापन आदेश में समापक की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए या पेनल से अनंतिम समापक की नियुक्ति के लिए केंद्रीय सरकार व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों, अधिवक्ताओं, व्यवसायरत कंपनी सचिवों, व्यवसायरत लागत और संकर्म लेखापालों या चार्टर्ड अकाउंटेंटों, अधिवक्ताओं, कंपनी सचिवों, लागत और संकर्म लेखापालों और ऐसे अन्य वृत्तिकों को केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, के नामों वाला या ऐसे वृत्तिकों के संयोजन वाली व्यक्तियों की किसी फर्म या निगमित निकाय का, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, और जिनके पास कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी मामलों का कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो और ऐसी अन्य अर्हताएं हों तथा निबंधनों और शर्तों पर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, एक पेनल रखगी ।

(3) केंद्रीय सरकार उपनियम (2) के अधीन रखे गए पेनल से किसी व्यक्ति या फर्म या निगमित निकाय का नाम कदाचार, कपट, अपकरण, कर्तव्य भंग या वृत्तिक अक्षमता के आधारों पर हटा सकेगी :

परंतु केंद्रीय सरकार, पेनल से ऐसे किसी व्यक्ति या फर्म या निगमित निकाय का नाम हटाने से पहले उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी ।

(4) पेनल से नियुक्त प्रत्येक समापक, उस सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, समापक के रूप में अपने कर्तव्यों को ग्रहण करने से पूर्व, ऐसी राशि की और ऐसी रीति में, जो अधिकरण निदेश करे, प्रतिभूति देगा । अपेक्षित प्रतिभूति देने का खर्च समापक द्वारा वहन किया जाएगा और परिसमापन में उपगत व्यय के रूप में सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के संबंध में प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

(5) यदि अधिकरण की यह राय है कि उपनियम (3) के अधीन समापक द्वारा दी गई प्रतिभूति अपर्याप्त है तो अधिकरण समापक के अतिरिक्त प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा । जहां दी गई प्रतिभूति अधिक है, वहां समापक प्रतिभूति की रकम को कम करने के लिए अधिकरण में आवेदन कर सकेगा और अधिकरण उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(6) पेनल से किसी समापक की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें और उसे संदेय फीस किए जाने वाले कार्य, सीमित दायित्व भागीदारी के अनुभव, अर्हता और आकार के आधार पर अधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

(7) पेनल से अनंतिम समापक या समापक के रूप में नियुक्ति पर, ऐसा समापक हित के विरोध या नियुक्ति के संबंध में स्वतंत्रता की कमी को प्रकट करते हुए **प्ररूप सं0 6** में एक घोषणा फाइल करेगा और ऐसी बाध्यता उसके निबंधन या उसकी नियुक्ति में पूर्णरूप से जारी रहेगी ।

(8) समापक को उस विशिष्ट सीमित दायित्व भागीदारी के 'समापक' के नाम से वर्णित किया जाएगा, जिसके संबंध में वह कार्य करता है, न कि अपने नाम से ।

30. समापक को हटाया या प्रतिस्थापित किया जाना, आदि--(1) अधिकरण, युक्तियुक्त हेतुक दर्शित करने पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, पेनल से नियुक्त किए गए अनंतिम समापक या समापक को निम्नलिखित आधारों पर हटा सकेगा, अर्थात् :--

(क) कदाचार ;

(ख) कपट या अपकरण ;

(ग) वृत्तिक अक्षमता या शक्तियों और कृत्यों के पालन में सम्यक् सावधानी और तत्परता का प्रयोग करने में असफलता ;

(घ) समापक के रूप में कार्य करने में असमर्थता ;

(ङ) उसकी नियुक्ति की अवधि के दौरान हित का विरोध या स्वतंत्रता की कमी ।

(2) यदि समापक की मृत्यु, पदत्याग करने, हटाए जाने के कारण या अन्यथा उसके पद में कोई रिक्ति होती है तो अधिकरण उसे समनुदेशित कार्य को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी दूसरे समापक को अंतरित कर सकेगा ।

(3) जहां अधिकरण की यह राय है कि इस नियम के अधीन कोई समापक कपट या अपकरण अथवा अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के पालन में सम्यक् सावधानी और तत्परता का प्रयोग करने में असफलता के कारण सीमित दायित्व भागीदारी को कोई हानि या नुकसानी कारित करने के लिए उत्तरदायी है तो अधिकरण उस समापक से ऐसी हानि या नुकसानी की वसूली वसूली करा सकेगा और ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(4) अधिकरण, इस नियम के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, समापक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा ।

31. परिसमापन आदेश का समापक और रजिस्ट्रार को संसूचित किया जाना--(1) जहां अधिकरण किसी सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आदेश पारित करता है, वहां वह, आदेश पारित करने की तारीख से पन्द्रह से अनधिक दिन की अवधि के भीतर, उसकी सूचना **प्ररूप सं0 12** में समापक और रजिस्ट्रार को भिजवाएगी ।

(2) परिसमापन आदेश करने पर सीमित दायित्व भागीदारी में परिसमापन कार्यवाही में याची का यह कर्तव्य होगा कि आदेश किए जाने के पंद्रह दिन में आदेश की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार को फाइल करें ।

(3) उपनियम (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार, सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित अपने अभिलेखों में उस आशय का पृष्ठांकन करेगा और राजपत्र में यह अधिसूचित करेगा कि ऐसा आदेश कर दिया गया है ।

(4) उपनियम (1) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, समापक द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत डाक से एक सूचना भेजी जाएगी और समापक सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर, संपत्ति, आस्तियों, चीजबस्त, अनुप्रयोज्य दावों, लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों की अभिरक्षा के प्रयोजन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी और संपरीक्षकों तथा प्रतिभूत लेनदारों सहित, यदि कोई हों, भागीदारों, अभिहित भागीदारों, अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना तामील करेगा ।

(5) परिसमापन आदेश को सिवाए तब के जब सीमित दायित्व भागीदारी का कारबार जारी रहता है, सीमित दायित्व भागीदारी के अधिकारियों, कर्मचारियों और कर्मकारों के निर्मोचन की सूचना समझा जाएगा ।

32. परिसमापन का सभी लेनदारों और भागीदारों के पक्ष में प्रवर्तनीय होना--किसी सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन का आदेश सभी लेनदारों और सभी भागीदारों के पक्ष में प्रवर्तनीय होगा ।

33. अधिकरण की अधिकारिता--अधिकरण को, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित को ग्रहण करने या निपटाने की अधिकारिता होगी--

(क) सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही ;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई दायित्व, जिसके अंतर्गत भारत में उसकी किन्हीं शाखा द्वारा या उसके विरुद्ध दावे भी हैं ;

(ग) अधिनियम की धारा 60 से धारा 62 के अधीन किया गया कोई आवेदन ;

(घ) सीमित दायित्व भागीदारी के पुनरुद्धार और पुनर्स्थापन के लिए अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रस्तुत की गई कोई स्कीम ;

(ङ) पूर्विकता वाला कोई प्रश्न या किसी भी प्रकार का कोई अन्य प्रश्न, चाहे विधि का हो या तथ्य का, जो सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन से संबंधित हो या उसके अनुक्रम में उत्पन्न हुआ हो,

परिसमापन याचिका से पूर्व या उसके लंबित रहने के दौरान या परिसमापन आदेश किए जाने के पश्चात् चाहे ऐसा वाद या कार्यवाही संस्थित की गई हो या ऐसा दावा या प्रश्न उत्पन्न हुआ हो या होता है या ऐसा आवेदन किया है या किया गया हो या ऐसी स्कीम प्रस्तुत है या की गई हो ।

34. समापक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना--(1) जहां अधिकरण ने कोई परिसमापन आदेश किया है वहां परिसमापक, परिसमापन आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर, अधिकरण को निम्नलिखित विशिष्टियों वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :--

(क) पृथक् रूप से हाथ में और बैंक में नकद अतिशेष, यदि कोई हो, और सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा धारित विपणनीय प्रतिभूतियों, यदि कोई हो, का कथन करते हुए, सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों की प्रकृति और ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उनके अवस्थान और मूल्य भी है :

परंतु आस्तियों का मूल्यांकन, समापक द्वारा रखे गए मूल्यांककों के पेनल से अभिप्राप्त किया जाएगा ;

(ख) भागीदारों से प्राप्त और बकाया अभिदाय की रकम ;

(ग) प्रतिभूत और गैर प्रतिभूत ऋणों का और प्रतिभूत ऋणों की दशा में, चाहे सीमित दायित्व भागीदारी या उसके किसी भागीदार या अधिकारी द्वारा दी गई सेवाओं की विशिष्टियों, उनके मूल्य और उन तारीखों का पृथक रूप से कथन करते हुए, जिनको वे दी गई थी, सीमित दायित्व भागीदारी के विद्यमान और आकस्मिक दायित्व, जिसके अंतर्गत उसके लेनदारों के नाम, पते और व्यवसाय भी है ;

(घ) सीमित दायित्व भागीदारी को शोध्य ऋण और उन व्यक्तियों के नाम, पते और व्यवसाय, जिनसे वे शोध्य हैं और उस मद्दे वसूल की जाने वाली संभावित रकम ;

(ङ) सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा दी गई कोई प्रत्याभूति, यदि कोई हो ;

(च) भागीदारों और उनके द्वारा संदेय बकायों की सूची, यदि कोई हो और किसी बकाया अभिदायों के ब्यौरे ;

(छ) सीमित दायित्व भागीदारी के स्वामित्वाधीन व्यापार-चिन्ह, बौद्धिक संपदा अधिकारों, आदि जैसी अमूर्त आस्तियों के ब्यौरे ;

(ज) अस्तित्वयुक्त संविदाओं, संयुक्त उद्यमों और सहयोग, यदि कोई हो, के ब्यौरे ;

(झ) ऐसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारियों या कंपनियों, आदि के ब्यौरे, जिनमें सीमित दायित्व भागीदारी का कोई पण है ;

(ञ) सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए विधिक मामलों के ब्यौरे ;

(ट) समापक की अभिरक्षा के अधीन ली गई संपत्तियों, आस्तियों, अभिलेख पुस्तिकाओं और अन्य दस्तावेजों के ब्यौरे ;

(ठ) सीमित दायित्व भागीदारी के पुनरुद्धार या पुनरूस्थापन की स्कीम, यदि कोई हो ; और

(ड) ऐसी कोई अन्य सूचना, जो अधिकरण निदेश करे या जिसे समापक सम्मिलित करना आवश्यक समझे ।

(2) समापक अपनी रिपोर्ट में उस रीति को, जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी का संवर्धन या उसे विरचित किया गया था और क्या उसकी राय में उसके संवर्धन या विरचना में किसी व्यक्ति द्वारा या सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में उसके बनाए जाने से सीमित दायित्व भागीदारी के किसी अधिकारी द्वारा कोई कपट किया गया है या ऐसे किन्हीं अन्य विषयों को सम्मिलित कर सकेगा, जो उसकी राय में अधिकरण की जानकारी में लाए जाने के लिए वांछनीय है ।

(3) समापक, उपनियम (1) के अधीन अपनी रिपोर्ट में, सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार की संभाव्यता या उन उपायों को कर सकेगा, जो उसकी राय में, सीमित दायित्व भागीदारी के मूल्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं ।

(4) समापक, यदि वह ठीक समझे, ऐसे विषयों के संबंध में कोई अन्य रिपोर्ट या रिपोर्टें तैयार कर सकेगा, जिन्हें उसकी राय में, अधिकरण की जानकारी लाना वांछनीय है ;

(5) अपने को लिखित में किसी सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदार या भागीदार के रूप में बताने वाला कोई व्यक्ति, स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा सभी युक्तियुक्त समयों पर, इस नियम के अनुसार प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का

निरीक्षण करने और उपाबंध में विहित फीस के संदाय पर उसकी प्रतियां या उसके उद्धरण लेने के लिए हकदार होगा ।

35. समापक की रिपोर्ट पर अधिकरण के निर्देश, आदि--(1) अधिकरण, नियम 34 के अधीन समापक की रिपोर्ट पर विचार करने पर, इन नियमों के अधीन ऐसी समय-सीमा नियत करेगा, जिसके भीतर संपूर्ण कार्यवाहियां पूरी की जाएंगी और सीमित दायित्व भागीदारी विघटित हो जाएंगी :

परंतु अधिकरण, यदि कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर या समापक द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की परीक्षा करने पर और समापक, लेनदारों या भागीदारों की सुनवाई करने के पश्चात्, की यह राय है कि कार्यवाहियों को जारी रखना फायदेमंद या मितव्ययी नहीं होगा, समय-सीमा को कम कर सकेगी, जिसके भीतर संपूर्ण कार्यवाहियां पूरी की जाएंगी और सीमित दायित्व भागीदारी विघटित हो जाएगी :

परंतु यह और कि यदि समापक या उसके अभिकर्ता द्वारा पूरी की जाने वाली किसी ऐसी पृथक् कार्यवाहियों या कार्यकलापों का, जिसके लिए इन नियमों के अधीन समय नियत किया गया है, समापक की राय में उस समय के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है तो अधिकरण, अपना समाधान करने के पश्चात्, समापक के आवेदन पर समय को और तीस दिन से अनधिक तक विस्तारित कर सकेगा ।

(2) अधिकरण, समापक द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की परीक्षा करने के पश्चात् और समापक, लेनदारों या भागीदारों को सुने जाने के पश्चात्, चालू समुत्थान के रूप में सीमित दायित्व भागीदारी या उसकी आस्तियों अथवा भाग को विक्रय का आदेश दे सकेगा :

परंतु अधिकरण, जहां वह ठीक समझे, सीमित दायित्व भागीदारी के ऐसे लेनदारों, भागीदारों और अधिकारियों या कर्मचारियों से मिलकर बनी विक्रय समिति को नियुक्त कर सकेगा, जो इस उपनियम के अधीन अधिकरण, समापक की सहायता करने के लिए विनिश्चित करे :

परंतु यह और कि जहां अधिकरण की यह राय है कि किसी सीमित दायित्व भागीदारी का पुनरूद्धार या पुनर्स्थापन किया जा सकता है, वहां वह यह निदेश दे सकेगा कि पुनरूद्धार या पुनर्स्थापन की कार्रवाई अधिनियम की धारा 60 से धारा 62 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाए ।

(3) जहां समापक से यह रिपोर्ट प्राप्त होती है कि सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में कपट किया गया है, वहां अधिकरण, परिसमापन की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 43 के अधीन अन्वेषण के लिए आदेश देगा

और ऐसे अन्वेषण की रिपोर्ट पर विचार करने पर वह आदेश पारित कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह समुचित समझे ।

(4) अधिकरण, ऐसे उपायों के लिए आदेश दे सकेगा, जो सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के मूल्य की संरक्षा, परिरक्षा या वृद्धि करने के लिए आवश्यक हों ।

(5) अधिकरण ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा या ऐसे अन्य निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

36. सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्तियों की अभिरक्षा--(1) जहां परिसमापन आदेश किया गया है या जहां अनंतिम समापक की नियुक्ति की गई है, वहां समापक, अधिकरण के आदेश पर, ऐसी सभी संपत्ति, आस्तियों, चीजबस्त और अनुप्रयोज्य दावों को, जिनके संबंध में सीमित दायित्व भागीदारी हकदार है या प्रतीत होती है, तुरंत अपनी अभिरक्षा में या अपने नियंत्रणाधीन लेगा और सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्तियों की संरक्षा और परिरक्षा करने के लिए ऐसे कदम उठाएगा और उपाय करेगा, जो आवश्यक हों ।

(2) यथास्थिति, समापक या अनंतिम समापक द्वारा आवेदन करने पर, अधिकरण, सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार और किसी न्यासी, रिसीवर, बैंककार, अभिकर्ता, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति से, उसकी अभिरक्षा में या उसके नियंत्रणाधीन ऐसी धनराशि, संपत्ति या पुस्तकों और कागजपत्रों को, जिसके लिए सीमित दायित्व भागीदारी प्रथमदृष्ट्या हकदार है, तुरंत या ऐसे समय के भीतर, जो अधिकरण निदेश करे, यथास्थिति, समापक या अनंतिम समापक को संदाय, परिदान, अभ्यर्पण या अंतरण करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) यथास्थिति, समापक या अनंतिम समापक को ऐसी संपत्ति, चीजबस्त या अनुप्रयोज्य दावों और लेखा पुस्तकों को, जिसकी सीमित दायित्व भागीदारी हकदार है या प्रतीत होती है, अपनी अभिरक्षा में या अपने नियंत्रणाधीन लेने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए अधिकरण, यथास्थिति, समापक या अनंतिम समापक द्वारा आवेदन करने पर, मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उस संपत्ति, आस्तियों, चीजबस्त, अनुप्रयोज्य दावों, लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का कब्जा लेने और समापक या अनंतिम समापक को उसका कब्जा परिदत्त करने का निदेश दे सकेगा ।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी की सभी संपत्ति और चीजबस्त, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के आदेश की तारीख से अधिकरण की अभिरक्षा में समझी जाएंगी ।

37. भागीदारों, अधिकारियों, कर्मचारियों, आदि द्वारा संपत्ति, पुस्तकों, आदि का पता लगाना और उन्हें परिदत्त करना तथा समापक के साथ सहयोग करना--(1) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार, अभिहित भागीदार,

अधिकारी तथा कर्मचारी, भूतपूर्व और वर्तमान, जिसके अंतर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी भी हैं, सभी संपत्तियों, आस्तियों, चीजबस्त, अनुप्रयोज्य दावों, लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का पता लगाएंगे और उसका कब्जा, यथास्थिति, समापक या अनंतिम समापक का नियम 28 में यथापरिभाषित सुसंगत तारीख के साठ दिन के भीतर परिदत्त करेंगे । उन सभी व्यक्तियों का, जिनके कब्जे में कोई संपत्ति, आस्तियां, चीजबस्त, लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज हैं, कर्तव्य होगा कि वे उसका कब्जा समापक को परिदत्त करें ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार, अभिहित भागीदार, अधिकारी तथा कर्मचारी, भूतपूर्व और वर्तमान, जिसके अंतर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी, तथा परीक्षक भी हैं, समापक को उसके कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में पूरा सहयोग देंगे । समापक सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके अंतर्गत संपत्ति, आस्तियों, चीजबस्त, लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति भी है, व्यक्तिगत साक्षात्कार कर सकेगा और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे समय और स्थान पर, जो समापक नियत करे, समापक से मिले तथा समापक को ऐसी सभी जानकारी दे जिसकी वह अपेक्षा करे तथा ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर दे जो समापक द्वारा उससे किए जाए । समापक उसके द्वारा किए गए साक्षात्कार के कार्यवृत्त या ऐसे साक्षात्कार की अंतरवस्तु वाले ज्ञापन को रखे । ऐसा सहयोग देने में किसी असफलता के लिए समापक अधिकरण को निदेशों के लिए आवेदन कर सकेगा ।

38. आस्तियों का उपयोजन--सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों को सर्वप्रथम व्ययों, प्रभारों या फीसों और समापक के पारिश्रमिक सहित खर्चों के संदाय के लिए और उसके पश्चात् अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुसार लेनदारों के दायित्वों के निर्मोचन के लिए उपयोजित किया जाएगा ।

39. निरीक्षण समिति--(1) अधिकरण, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आदेश करने के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय यह निर्देश दे सकेगा कि समापक के साथ कार्य करने के लिए एक निरीक्षण समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) नियुक्त की जाएगी ।

(2) नियुक्त की गई निरीक्षण समिति में बारह से अनधिक ऐसे सदस्य, जो अधिकरण आदेश करे, होंगे जो सीमित दायित्व भागीदारी के लेनदार और भागीदार हैं या ऐसे अनुपात में लेनदारों या भागीदारों के अटार्नी की साधारण या विशेष शक्तियां धारित करने वाले व्यक्ति होंगे, जो लेनदारों और भागीदारों की बैठक द्वारा तय किए जाएं या बैठकों में मतैक्यता में भिन्नता की दशा में अधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए ।

(3) समापक, अधिकरण को ऐसे व्यक्तियों का अवधारण करने में समर्थ बनाने के लिए, जो निरीक्षण समिति के सदस्य हो सकेंगे, परिसमापन के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर (सीमित दायित्व भागीदारी की पुस्तकों और दस्तावेजों से यथाअभिनिश्चित) भागीदारों और लेनदारों की बैठक, यदि कोई हो, बुला सकेगा ।

(4) समिति, ऐसे समयों पर बैठक करेगी जो वह समय-समय पर नियत करे और समापक या समिति का कोई सदस्य, जब कभी वह आवश्यक समझे, भी समिति की बैठक बुला सकेगा ।

(5) समिति की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों के एक-तिहाई या दो सदस्यों से, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी ।

(6) समिति किसी बैठक में उपस्थित अपने सदस्यों के बहुमत द्वारा कार्य करेगी किंतु जब तक गणपूर्ति विद्यमान न हो, कार्य नहीं करेगी ।

(7) समिति का कोई सदस्य उसके द्वारा हस्ताक्षरित और समापक को परिदत्त लिखित सूचना द्वारा पदत्याग कर सकेगा ।

(8) यदि समिति का कोई सदस्य दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है या अपने लेनदारों के साथ समझौता या ठहराव करता है या उन सदस्यों की इजाजत के बिना समिति की लगातार पांच बैठकों में अनुपस्थित रहता है, जो उसके साथ, यथास्थिति, लेनदारों या भागीदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसके पद रिक्त हो जाएगा ।

(9) समिति के किसी सदस्य को, यदि वह लेनदारों का प्रतिनिधित्व करता है, लेनदारों की बैठक में या यदि वह भागीदारों का प्रतिनिधित्व करता है, भागदारों की बैठक में बहुमत की सहमति से हटाया जा सकेगा ।

(10) समिति में कोई रिक्ति होने पर समापक उस रिक्ति को भरने के लिए, जैसा मामले में अपेक्षित हो, तुरंत लेनदारों या भागीदारों की बैठक बुलाएगा और बैठक में संकल्प द्वारा उसकी पुनःनियुक्ति कर सकेगा या रिक्ति को भरने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा :

परंतु यदि समापक की परिसमापन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि रिक्ति को भरे जाने के लिए ऐसा करना अनावश्यक है तो वह अधिकरण को आवेदन कर सकेगा और अधिकरण यह आदेश कर सकेगा कि रिक्ति को भरा नहीं जाएगा या ऐसी परिस्थितियों के सिवाय, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, भरा नहीं जाएगा ।

(11) समिति के बने रहने वाले सदस्य यदि दो से कम न हो, समिति में किसी रिक्ति के होते हुए भी कार्य कर सकेंगे ।

(12) उक्त बैठक आयोजित किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र समापक उसके परिणाम आगे निर्देशों के लिए अधिकरण को रिपोर्ट करेगा ।

(13) समापक द्वारा ऐसे आदेश के लिए कि निरीक्षण समिति में होने वाली किसी रिक्ति को भरा नहीं जाएगा, कोई आवेदन, समिति के शेष सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को सूचना देने पर किया जाएगा, जो अधिकरण निर्देश करे ।

(14) न तो समापक, न ही निरीक्षण समिति का कोई सदस्य, किसी परिसमापन में समापक या ऐसी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करते समय प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या किसी नियोजक, भागीदार, लिपिक, अभिकर्ता, सेवक या संबंधी के द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के किसी भाग का क्रेता नहीं होगा या अधिकरण की इजाजत के बिना परिसमापन से प्रोद्भूत होने वाले किसी संव्यवहार से कोई लाभ व्युत्पन्न करने के लिए हकदार नहीं होगा । इस नियम के उपबंधों के प्रतिकूल किया गया कोई ऐसा क्रय, यथास्थिति, समापक के या किसी लेनदार या भागीदार के आवेदन पर अधिकरण द्वारा अपास्त कर दिया जाएगा और अधिकरण खर्चों के बारे में ऐसा आदेश कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(15) जहां निरीक्षण समिति के किसी सदस्य को सीमित दायित्व भागीदारी आस्तियों के प्रशासन के संबंध में उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए संदाय के संबंध में अधिकरण की मंजूरी प्राप्त की गई है, वहां अधिकरण का आदेश सेवाओं की प्रकृति विनिर्दिष्ट करेगा और ऐसी मंजूरी केवल वहीं दी जाएगी जहां दी गई सेवा विशेष प्रकृति की है ।

परंतु समिति के किसी सदस्य को ऐसी समिति के सदस्य के रूप में अपने पद से जुड़े कर्तव्यों के निर्वहन में उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए अधिकरण की अभिव्यक्त मंजूरी के सिवाय, कोई पारिश्रमिक संदत्त नहीं किया जाएगा ।

40. अधिकरण को आवधिक रिपोर्टों, आदि का प्रस्तुत किया जाना--(1) समापक, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन की प्रगति के संबंध में **प्ररूप सं0 13** में अधिकरण को तिमाही (अर्थात् 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली तिमाहियां) रिपोर्ट देगा, जिसे आगामी तिमाही के अंत से पूर्व दिया जाएगा ।

(2) अधिकरण, समापक द्वारा आवेदन पर उसके द्वारा किए गए किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और किसी अतिरिक्त निदेशों सहित या उसके बिना ऐसे उपांतरण कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

41. समापक के कर्तव्य--(1) अधिकरण द्वारा मंजूरी के अधीन रहते हुए, समापक अधिकरण द्वारा परिसमापन में निम्नलिखित सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा :

(क) जहां तक सीमित दायित्व भागीदारी के फायदाप्रद परिसमापन के लिए आवश्यक हो, सीमित दायित्व भागीदारी का कारबार चलाना ;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के नाम में और उसकी ओर से सभी कार्य करना और सभी विलेख, रसीदें और अन्य दस्तावेज निष्पादित करना तथा उस प्रयोजन के लिए जब कभी आवश्यक हो, सीमित दायित्व भागीदारी की मुद्रा का, यदि कोई हो, उपयोग करना ;

(ग) संपत्ति, आस्तियों, अनुप्रयोज्य दावों, लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को अभिरक्षा में लेना ;

(घ) सीमित दायित्व भागीदारी की स्थावर और जंगम संपत्ति, जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों, व्यापार चिन्हों, लोगों आदि, भी हैं और उसके अनुप्रयोज्य दावों को ऐसी संपत्ति का किसी व्यक्ति या निगमित निकाय को अंतरण करने या किन्हीं ऋणों को वसूल करने की शक्ति सहित लोक नीलामी या बोली या निविदाएं आमंत्रित करके या प्राइवेट संविदाओं द्वारा विक्रय करना ;

(ङ) रजिस्ट्रार या किसी अन्य प्राधिकारी की फाइलों पर सीमित दायित्व भागीदारी के अभिलेखों और विवरणियों का निरीक्षण करना ;

(च) किसी भागीदार के दिवाले में उसकी संपदा के संबंध में किसी अतिशेष के लिए श्रेणी और दावा साबित करना और उस अतिशेष के संबंध में और अन्य पृथक लेनदारों के साथ दिवालियापन से बकाया ऋण के रूप में लाभांश प्राप्त करना ;

(छ) सीमित दायित्व भागीदारी के दायित्व के संबंध में सीमित दायित्व भागीदारी के नाम में और उसकी ओर से किसी विनिमय पत्र, हुंडी या वचनपत्र को उसी प्रभाव से तैयार करना, स्वीकार करना, बनाना और पृष्ठांकित करना, मानो विनिमय पत्र, हुंडी या वचनपत्र सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के अनुक्रम में उसके द्वारा या उसकी ओर से तैयार किया गया, स्वीकृत किया गया, बनाया या पृष्ठांकित किया गया हो ;

(ज) किसी मृत भागीदार के प्रशासन के पत्र अपने शासकीय नाम में तैयार करना या किसी अन्य कार्य को अपने शासकीय नाम में करना, जो ऐसे भागीदार या उसकी संपदा से शोध्य किसी धन के संदाय को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो, जिसे सीमित दायित्व भागीदारी के नाम में सुविधाजनक रूप में नहीं किया जा सकता है और सभी ऐसे मामलों में प्रशासन पत्रों को तैयार करने या धन की

वसूली करने में समापक को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए शोध्य धन को समापक पर भी शोध्य समझा जाएगा ;

(झ) ऐसे आदेशों या निदेशों के लिए अधिकरण को आवेदन करना, जो सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आवश्यक हों ;

(ञ) समापक द्वारा अपनी अभिरक्षा में ली गई सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्तियों और आस्तियों की संरक्षा करने के लिए प्रतिभूत लेनदारों के साथ परामर्श करने या उन्हें सूचना देने के पश्चात् समापक द्वारा रखे गए पेनल से सुरक्षा गार्डों या सुरक्षा अभिकरण की नियुक्ति करना ;

(ट) प्रतिभूत लेनदारों के साथ परामर्श करने या उन्हें सूचना देने के पश्चात्, समापक द्वारा स्वयं या समापक द्वारा रखे गए विशेषज्ञों के पेनल द्वारा आस्तियों, पुस्तकों और अभिलेखों की सूची तैयार करना ;

(ठ) संपत्ति, आस्तियों और चीजबस्त या अनुप्रयोज्य दावों को अभिरक्षा में लेने के पश्चात् पन्द्रह दिन के भीतर सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों का मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रतिभूत लेनदारों के साथ परामर्श करने या उन्हें सूचना देने के पश्चात्, समापक द्वारा रखे गए पेनल से चार्टर्ड सर्वेक्षकों या चार्टर्ड अकाउन्टेंटों सहित मूल्यांककों की नियुक्ति करना ;

(ड) मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के विक्रय के लिए बोलियां आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन देना ;

(ढ) अधिकरण को किसी ऐसे व्यक्ति जो उसकी राय में नियम 28 के अधीन कार्य कां विवरण तैयार करने में सक्षम है, निदेश के आदेश के लिए आवेदन करना और ऐसे व्यक्ति को सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों का विवरण देने और उसे सत्यापित करने के लिएसमापक द्वारा सूचना की तामील की जाएंगी ;

(ण) स्वयं या समापक द्वारा रखे गए पेनल से नियुक्त चार्टर्ड अकाउन्टेंटों द्वारा कपटपूर्ण आचरण या कारबार, अपकरण, आदि से संबंधित सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों का अन्वेषण करना और परिसमापन आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर

अधिकरण को उस अन्वेषण की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जो समापक द्वारा आवेदन पर अधिकरण द्वारा दिया जाए :

परंतु यदि समापक की राय में ऐसा अन्वेषण अपेक्षित नहीं है तो समापक परिसमापन आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसके कारण स्पष्ट करते हुए अधिकरण को रिपोर्ट देगा ;

(त) परिसमाप्त किए जा रहे सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए किसी कथन को अभिलिखित करने हेतु किसी भी व्यक्ति को बुलाना और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे समय और स्थान पर, जो समापक नियत करे, समापक के समक्ष उपस्थित हो और समापक को ऐसी सभी जानकारी दे, जिसकी वह अपेक्षा करे और सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन से संबंधित सभी ऐसे प्रश्नों का उत्तर दें जो समापक द्वारा उससे पूछे जाएं ;

(थ) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के विक्रय आगमों को जमा करने और ऋणों की वसूली के लिए अपने भाराधीन प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी का पृथक् बैंक खाता रखना ;

(द) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी की बाबत उसके द्वारा सभी प्राप्तियों और संदायों के संबंध में लेखा बहियों कोसमुचित रूप से रखना और अधिकरण की लेखा विवरण प्रस्तुत करना ;

(ध) लेनदारों के दावे आमंत्रित करना, सबूत की जांच करना और लेनदारों तथा भागीदारों की सूची तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना ; और

(न) ऐसे सभी अन्य कार्य और बातें करना, जो सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन और उसकी आस्तियों के वितरण के लिए आवश्यक हों ।

(2) उपनियम (1) के खंड (ड) में निर्दिष्ट विज्ञापन के जवाब में प्रत्येक बोली लगाने वाला विज्ञापन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो, यथास्थिति, समापक या अनंतिम समापक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी प्रस्थापना जमा करेगा और समापक या अनंतिम समापक उस संपत्ति और आस्तियों के निरीक्षण की अनुमति देगा, जिसकी बाबत बोलियां आमंत्रित की गई थी :

परंतु ऐसी बोली के समाप्त होने के अंतिम दिन से पूर्व तीन दिन के भीतर ऐसी बोली वापस ली जा सकेगी :

परंतु यह और कि संपत्ति का निरीक्षण बोली के बंद होने से पूर्व पांच से अनधिक दिन के लिए खुला रहेगा ।

(3) बोलियां आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :--

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, उसके शाखा कार्यालयों, कारखानों और संयंत्रों तथा ऐसे स्थानों के नाम, पते, जहां सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियां रखी गई और विक्रय के लिए उपलब्ध हो ;

(ख) बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, जो विज्ञापन की तारीख से नब्बे दिन से अधिक नहीं होगी ;

(ग) वह समय, जिसके दौरान सीमित दायित्व भागीदारी का परिसर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा ;

(घ) बोली वापस लेने के लिए अंतिम तारीख ;

(ङ) वित्तीय प्रत्याभूति, जो बोली के मूल्य के आधे से कम नहीं हो ;

(च) बोलियों की विधिमान्यता की अवधि ;

(छ) सार्वजनिक रूप से बोलियां खोले जाने का स्थान और तारीख ;

(ज) बोली के साथ जमा की जाने वाली आरक्षित कीमत और अग्रिम धन ;

(झ) विक्रय के कोई अन्य निबंधन और शर्तें, जो अधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(4) यथास्थिति, समापक या अनंतिम समापक, बोली के बंद होने की अंतिम तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर बोली के परिणाम के संबंध में अधिकरण के समक्ष अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा ।

(5) इस नियम के अधीन समापक द्वारा कर्तव्यों का पालन अधिकरण के संपूर्ण नियंत्रण के अधीन रहते हुए होगा और कोई लेनदार या भागीदार इस नियम द्वारा समापक पर प्रदत्त किन्हीं कर्तव्यों के पालन या प्रस्तावित पालन के संबंध में अधिकरण को आवेदन कर सकेगा ।

(6) उपनियम (1) से उपनियम (5) के उपबंधों के होते हुए भी, समापक ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस संबंध में अधिकरण विनिर्दिष्ट करे ।

42. समापक की सहायता के लिए उपबंध--(1) समापक, अधिकरण की मंजूरी से, अधिकरण के समक्ष उपसंजात होने के लिए हकदार एक या अधिक व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंटों या व्यवसायरत कंपनी सचिवों या व्यवसायरत

लागत लेखापालों या विधि व्यवसायियों अथवा ऐसे अन्य वृत्तिकों या विशेषज्ञों या मूल्यांकक अथवा अभिकरण को नियुक्त कर सकेगा, जिन्हें इस अधिनियम या नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्यों के पालन में उसकी सहायता करने के लिए वह आवश्यक समझे :

परंतु यदि ऐसी कोई नियुक्ति रखे गए पेनल से की जाती है तो समापक निबंधनों और शर्तों, संदेय फीसों, फीस के संदाय के लिए निधि के स्रोत, सीमित दायित्व भागीदारी के पास उपलब्ध निधि और वसूल न की गईं आस्तियों की सीमा सहित ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट तुरंत अधिकरण को प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और कि समापक द्वारा ऐसा पेनल अधिकरण के अनुमोदन से रखा जाएगा ।

(2) उस रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उसकी नियुक्ति के संबंध में हित के किसी विरोध या स्वतंत्रता की कमी के बारे में तुरंत **प्ररूप सं0 14 में** अधिकरण को प्रकटन करेगा ।

(3) अधिकरण, उसे दर्शित किए गए कारण पर, किसी सदस्य को समापक द्वारा रखे गए पेनल से हटा सकेगा ।

43. समापक की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और नियंत्रण--(1) समापक, सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के प्रशासन और लेनदारों के बीच उसके वितरण में ऐसे किन्हीं निदेशों को ध्यान में रखेगा, जो लेनदारों या भागीदारों के संकल्प या निरीक्षण समिति द्वारा दिए जाएं ।

(2) लेनदारों या भागीदारों द्वारा दिए गए किन्हीं निदेशों को, प्रतिरोध की दशा में, निरीक्षण समिति द्वारा दिए गए किंही निदेशों पर अध्यारोही समझा जाएगा ।

(3) समापक,--

(क) जब कभी वह आवश्यक समझे, लेनदारों या भागीदारों की इच्छाओं को जानने के प्रयोजन के लिए उनकी बैठकें बुला सकेगा ;

(ख) ऐसे समयों पर, जो, यथास्थिति, लेनदार या भागीदार संकल्प द्वारा निदेश दें या जब कभी, यथास्थिति, मूल्य में एक बटा दस से अन्यून लेनदारों या भागीदारों द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित में भागीदारों द्वारा अनुरोध किया गया हो, तब ऐसी बैठकें बुलाएगा ।

(4) अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए समापक, सीमित दायित्व भागीदारी की आस्तियों के प्रशासन और लेनदारों के बीच उसके वितरण में अपने स्वविवेक का प्रयोग करेगा ।